Press Release

Food Safety and Standards (Advertising and Claims) Regulations, 2018

Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) has finalised the regulations pertaining to claims and advertisements by food business operators in respect of their food products. These regulations are aimed at establishing fairness in claims and advertisements of food products and make food businesses accountable for such claims /advertisements so as to protect consumer interests.

Many claims, listed in various schedules of these regulations with related criteria, are permitted to be made by food business operators without the need for seeking prior approval from the food regulator. However, other types of claims not standardised under these regulations may require approval from the Food Authority and should be supported with sound scientific basis. With a detailed procedure for approval of claims included in these regulations, food businesses may seek prior approval from FSSAI for reduction of disease risk claims other than those specified in these regulations.

These regulations contain several sections detailing definitions; general principles for claims and advertisements; criteria for nutrition claims (including nutrient content or nutrient comparative claims), non-addition claims (including non-addition of sugars and sodium salts), health claims (reduction of disease risk), claims related to dietary guidelines or healthy diets, and conditional claims; claims that are specifically prohibited; and procedures for approval of claims and redressal of non-compliances under these regulations.

As per these regulations, food business cannot use the words/phrases such as *natural, fresh, original, traditional, authentic, genuine, real* etc. on the food labels except under specific conditions detailed therein. Such restrictions are primarily aimed at restricting an open-ended use of these words/phrases by food businesses on frivolous grounds.

Where the meaning of a trade mark, brand name or fancy name containing adjectives such as "natural", "fresh", "pure", "original", "traditional", "authentic", "genuine", "real", etc., appearing in the labelling, presentation or advertising of a food is such that it is likely to mislead consumer as to the nature of the food, in such cases a disclaimer in not less than 3mm size shall be given at appropriate place on the label stating that –

"*This is only a brand name or trade mark and does not represent its true nature".

Advertisements in respect of a food product that undermines the importance of healthy lifestyles or portrays the food product as a complete replacement of normal meal are not permitted. Further, food businesses are also prohibited to advertise or make claim undermining the products of other manufacturer so as to promote their own food products or influence consumer behaviour.

Any person, including a third party, who advertises or is a party to the publication of any misleading advertisement not complying with these regulations would be penalised with a fine extending upto Rs ten lakh, as per Section 53 of the Food Safety and Standards Act 2006.

These regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette and Food Business Operator shall comply with all the provisions of these regulations by 1st July, 2019.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III— Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 432] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 20, 2018/ कार्तिक 29, 1940
No. 432] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 20, 2018/KARTIKA 29, 1940

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 **नवम्बर** , 2018

फ़ा. सं. 1-94/एफ.एस.एस.ए.आई/एसपी (दावे और विज्ञापन)/2017.—खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की उप-धारा (1) की अपेक्षा के अनुसार, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की अधिसूचना सं. फाइल सं. 1-94/ एफ.एस.एस.ए.आई/एसपी (दावे और विज्ञापन) 2017, तारीख 13 मार्च, 2018 द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक (विज्ञापन और दावे) विनियम, 2018 का प्रारूप भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4 में उससे प्रभावित हो सकने वाले लोगों से उस तारीख से तीस दिन की अवधि के अंदर आपत्तियाँ और सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रकाशित किया गया था, जिस तारीख को उस अधिसचूना को प्रकाशित करने वाले राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध कराई गई थीं;

और उक्त राजपत्र की प्रतियाँ जनता को 23 मार्च, 2018 को उपलब्ध कराई गई थीं;

और उक्त विनियमों के प्रारूप पर जनता से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार कर लिया गया है;

अत: अब खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम; 2006 (2006 का 34) की धारा 23 और धारा 24 के साथ पठित धारा 92 की उप-धारा (2) के खंड (ट) और (फ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:-

विनियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (विज्ञापन और दावे) विनियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे तथा खाद्य कारोबार चालक को 1 जुलाई, 2019 से इन विनियमों के सभी प्रावधानों का अनुपालन करना होगा।

2. परिभाषाएँ – (1) इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) **"अधिनियम"** से खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) अभिप्रेत है;

(ख) **"विज्ञापन"** से कोई श्रव्य या दृश्य प्रचार, किसी प्रकाश, ध्वनि, धुएँ, गैस, मुद्रण, इलेक्ट्रॉनी मीडिया, इंटरनेट या वेबसाइट द्वारा किया गया रूपण या उद्घोषणा अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत किसी सूचना, परिपत्र, लेबल, लपेटन, बीजक या अन्य दस्तावेजों के माध्यम से प्रचार भी है;

(ग) **"संतुलित आहार"** से अपेक्षाओं को पूरा करने वाला वह आहार अभिप्रेत है, जिसमें सभी अनिवार्य (मोटे और सूक्ष्म) पोषक तत्व ईष्टतम मात्रा और समुचित अनुपात में हों;

(घ) **"दावे"** से ऐसा कोई अभ्यावेदन अभिप्रेत है, जो मुद्रित, मौखिक, श्रव्य या दृश्य हो और जिसमें यह कथन, सुझाव या तात्पर्य हो कि किसी खाद्य में उसके उद्भव, पोषण संबंधी गुणधर्मों, प्रकृति, प्रसंस्करण, सम्मिश्रण से संबंधित या अन्य दृष्टि से विशिष्ट गुण हैं;

(ङ) **"आहारिक रेशा"** से वे कार्बोहाइड्रेट पॉलिमर अभिप्रेत हैं, जिनकी बहुलीकरण की डिग्री (डीपी) तीन से कम न हो, जिनका मानव की छोटी आँत में अंतर्जात एन्जाइमों द्वारा जल-अपघटन नहीं होता और जिनमें निम्नलिखित पॉलिमरों में से एक या अधिक पॉलिमर हो –

(i) उपभुक्त खाद्य में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले खाद्य कार्बोहाइड्रेट पॉलिमर;

(ii) खाद्य कच्ची सामग्री से भौतिक, एंजाइमी अथवा रासायनिक साधनों से अभिप्राप्त कार्बोहाइड्रेट पॉलिमर;

(iii) संश्लेषित कार्बोहाइड्रेट पॉलिमर;

(च) **"समतुल्यता का दावा"** से वह दावा अभिप्रेत है, जिससे किसी एक खाद्य के मान, मात्रा और महत्ता की किसी दूसरे खाद्य के मान, मात्रा और महत्ता से समतुल्यता को बढ़ावा देने का प्रयास हो;

(छ) **"वसा"** से कुललिपिड अभिप्रेत है, जिसमें सैच्युरेटित फैट, मोनोअनसैच्युरेटित फैट, पॉलिअनसैच्युरेटित फैट और ट्रांस फैट शामिल हैं।

स्पष्टीकरण.- इस खंड के प्रयोजन के लिए,-

(i) **"सैच्युरेटित फैट"** से डबल बोंड रहित वसीय अम्ल अभिप्रेत हैं;

(ii) **"मोनोअनसैच्युरेटित फैट"** से एक सिस डबल बोंड वाले वसीय अम्ल अभिप्रेत हैं;

(iii) **"पॉलिअनसैच्युरेटित फैट"** से सिस-सिस मिथाइलीन बाधित डबल बोंड वाले वसीय अम्ल अभिप्रेत हैं; और

(iv) **"ट्रांस फैट"** से मोनोअनसैच्युरेटिट और पॉलिअनसैच्युरेटिट वसीय अम्लों के वे सभी रेखागणितीय आइसोमर अभिप्रेत हैं, जिनके बदले रूप में कार्बन-कार्बन डबल बोंड असंयुक्त हों और जो कम से कम एक मिथाइलीन ग्रुप द्वारा बाधित हो।

(ज) **"स्वास्थ्य संबंधी दावे"** से अभिप्रेत वह निरूपण है जिसमें यह कथन, सुझाव हो अथवा जिससे यह तात्पर्य हो कि किसी खाद्य अथवा उसके किसी संघटक और स्वास्थ्य के मध्य कोई संबंध है; जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं, अर्थात्,-

(i) **"पोषक तत्व के कार्य संबंधी दावा"**, जो शारीरिक और मानसिक विकास और शरीर के सामान्य रूप से कार्य करते रहने में पोषक तत्व की शरीर-रचना संबंधी भूमिका का वर्णन करे;

उदाहरण: पोषक तत्व 'क' – स्वास्थ्य के रख-रखाव और आम शारीरिक और मानसिक विकास को बढ़ावा देने में शरीर में पोषक तत्व 'क' की शरीर-रचना में भूमिका बताते हुए (खाद्य 'एक्स' पोषक तत्व 'क' का अच्छा स्रोत है अथवा उससे बहुल है);

(ii) **"अन्य प्रयोजन संबंधी दावे"** से अभिप्रेत वह दावा है, जिसमें समग्र आहार अथवा शरीर की सामान्य या जैविक क्रियाओं के प्रसंग में खाद्य(द्यों) अथवा उनके संघटकों के उपभोग से विशिष्ट लाभकारी प्रभाव पड़ना बताया गया हो। ऐसे दावे स्वास्थ्य में सकारात्मक योगदान देने अथवा किसी क्रिया में सुधार अथवा स्वास्थ्य में सुधार या उसे बनाए रखने से संबंधित होते हैं।

उदाहरण : "पदार्थ 'क' (स्वास्थ्य से सम्बद्ध शारीरिक अथवा जैविक क्रिया में सुधार अथवा परिवर्तन में पदार्थ 'क' का प्रभाव बताते हुए)। खाद्य 'वाई' में पदार्थ 'ए' की 'एक्स' ग्राम मात्रा है;

(iii) **"बीमारी के जोखिम में कमी के दावे"** निर्दिष्ट करता है वह दावा है, जिसमें यह कथन, सुझाव अथवा जिससे यह अभिप्राय हो कि समग्र आहार के प्रसंग में ऐसे खाद्य(द्यों) अथवा खाद्य संघटकों के उपयोग से बीमारी बनने अथवा स्वास्थ्य संबंधी अवस्था के जोखिम में कमी होती है।

स्पष्टीकरण.- इस उप खंड के प्रयोजन के लिए "बीमारी के जोखिम में कमी" करने से अभिप्रेत है किसी बीमारी अथवा स्वास्थ्य संबंधी अवस्था के खतरे के मुख्य कारकों को महत्वपूर्ण रूप से बदल देना, क्योंकि बीमारियों के जोखिम के अनेक कारक होते हैं और उनमें से जोखिम के किसी एक कारक को बदलने से लाभकारी प्रभाव पड़ सकता है अथवा नहीं पड़ सकता है। जोखिम में कमी के दावे की पेशी उचित भाषा, उदाहरण के लिए जोखिम के कारकों से संबद्धता के प्रदर्शन के माध्यम से यह सुनिश्चित हो कि उपभोक्ता उन्हें निवारण संबंधी दावों के रूप में न लें।

उदाहरण:

क. अल्प पोषक तत्व अथवा पदार्थ 'क' वाला स्वास्थ्य आहार बीमारी 'घ' के जोखिम को कम कर सकता है। खाद्य 'एक्स' अल्प पोषक तत्वों अथवा पदार्थ 'क' से युक्त है।"

ख. पोषक तत्व अथवा पदार्थ 'क' से बहुल स्वास्थ्य आहार बीमारी 'घ' के जोखिम को कम कर सकता है। खाद्य 'एक्स' पोषक तत्वों अथवा पदार्थ 'क' से समृद्ध है।"

(झ) **"विपणक"** से तात्पर्य वे व्यक्ति अथवा कंपनियाँ हैं, जिनमें विज्ञापनदाता, सीधी बिक्री को बढ़ाने वाले और ई-प्लेटफॉर्म सहित प्रत्यक्ष विपणक शामिल हैं, जो अथवा जिनकी ओर से अपने उत्पादों को बढ़ावा के प्रयोजन के लिए अथवा उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने के लिए विपणन संवाद प्रकाशित अथवा प्रचारित किए जाते हैं।

(ञ) **"विपणन संवाद"** में विज्ञापन के साथ-साथ अन्य तकनीकें भी शामिल हैं, यथा उत्पाद को बढ़ावा देने के क्रिया-कलाप, प्रयोजन और प्रत्यक्ष विपणन हैं। इन्हें मोटे तौर पर उन संवादों के रूप में लिया जाएगा जो विपणकों द्वारा, अथवा उनकी ओर से, सीधे तैयार किए गए हों और मुख्यत: उत्पादों को बढ़ावा देने अथवा उपभोक्ता के व्यवहार को प्रभावित करने के लिए आशयित हों।

(ट) **"पौषक तत्व"** से खाद्य का वह संघटक अभिप्रेत है, -

(i) जिससे ऊर्जा मिले; अथवा

(ii) जो विशिष्ट उपापचय अथवा शरीर-रचना संबंधी कार्य करे; अथवा

(iii) जो शारीरिक और मानसिक विकास और स्वस्थ जीवन के रख-रखाव के लिए आवश्यक होता है;

(ठ) **"पोषण संबंधी दावे"** से वह अभ्यावेदन अभिप्रेत है, जिसमें यह कथन हो अथवा जिससे यह सुझाव या तात्पर्य हो कि किसी खाद्य में पोषण संबंधी वे विशिष्ट गुणधर्म हैं, जिनमें ऊर्जा मान, प्रोटीन अंश, वसा और कार्बोहाइड्रेटों के साथ-साथ विटामिनों, खनिजों और अन्य सूचीबद्ध पोषक तत्वों के अंश शामिल हैं किन्तु जो इन्हीं तक सीमित नहीं हैं और पोषण संबंधी दावों में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:

(i) **"पोषक तत्व के अंश संबंधी दावे"** से पोषण संबंधी वह दावा अभिप्रेत है, जो किसी आहार में पोषक तत्व के अंश के बारे में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बताए (उदाहरण: शामिल है/का स्रोत है; की उच्च मात्रा है; से समृद्ध है; निम्न है इत्यादि);

(ii) **"पोषक तत्व के तुलनात्मक दावे"** से वह दावा अभिप्रेत है, जिसमें दो या अधिक खाद्य पदार्थों के पोषण स्तर और/अथवा ऊर्जा मान की तुलना की गई हो (उदाहरण : न्यूनीकृत; से अल्प; कुछ; वर्धित; से अधिक इत्यादि);

(ड) **"असंयोजन दावे"** से वह दावा अभिप्रेत है, जिसमें यह कहा गया हो कि किसी खाद्य में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई संघटक नहीं डाला गया है तथा वह संघटक वह है, जिसकी उपस्थिति अथवा जिसका योजन खाद्य में अनुमत है, जिसकी खाद्य में उपभोक्ता प्राय: अपेक्षा करते हैं;

(ढ) **"अनुशंसित आहार मान (आर.डी.ए)"** से अभिप्रेत जीवन के विशिष्ट चरण और लिंग समूह में लगभग सभी स्वस्थ लोगों (97 से 98 प्रतिशत) की पोषक तत्व की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आहार के पौषक तत्वों का औसत दैनिक सेवन का स्तर है।

स्पष्टीकरण: इस उप-खंड के प्रयोजनों के लिए भारतीयों के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् की पौषक तत्वों की मौजूदा अपेक्षाओं में उपबंधित मान लागू होंगे। किसी पोषक तत्व के लिए भारतीय आर.डी.ए उपलब्ध न होने पर कोडेक्स/विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा-निर्देशों में दिए गए मान लागू होंगे;

(ण) **"शर्करा"** से सभी मोनोसैक्करराइड (ग्लुकोज, फ्रुक्टोज इत्यादि) और डाइसैक्करराइड (माल्टोज, सूक्रोज, यैक्टोज इत्यादि) अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है किन्तु अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों में परिभाषित है, वही अर्थ होंगे जो क्रमश: अधिनियम, नियमों या विनियमों में है।

3. खाद्य कारोबारी और विपणक साधारण सिद्धांतों का पालन करें.- लेबलिंग दावों सहित किसी खाद्य वस्तु का प्रचार अथवा बिक्री करने के लिए विज्ञापन देते समय और किसी विपणन संवाद का प्रचार करते समय प्रत्येक खाद्य कारोबारी और विपणक निम्नलिखित सामान्य सिद्धांतों का पालन करेंगे:

परंतु शिशुओं के लिए आशयित आहार से संबंधित विज्ञापन और दावे शिशु दुग्ध प्रतिस्थापी, दूध पिलाने की बोतलें और शिशु आहार (उत्पादन, आपूर्ति और वितरण विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 41) के अनुसार होंगा।

4. साधारण सिद्धांत.-

(1) दावे सत्य, स्पष्ट, सार्थक, अभ्रामक हों और वे दी गई सूचना को समझने में उपभोक्ताओं की सहायता करें।

(2) दावे किसी खाद्य विशेष के अधिक उपभोग को प्रोत्साहित अथवा अनदेखा न करे।

(3) दावे से यह कथन, सुझाव अथवा तात्पर्य न हो कि संतुलित और बदल-बदल कर किया गया आहार शरीर की आवश्यकता के अनुसार उपयुक्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं दे सकता।

(3) दावागत फायदा आहार बनाने की पद्धति अथवा उसके आधार पर होने की स्थिति में उसे लेबल पर बताया जाए, और

(4) दावा किए गए फायदा के लिए आहार के प्रतिदिन के परोसों की संख्या बताई जाए।

(6) खाद्य में कुछ विशेष पौषणिक अथवा स्वास्थ्य संबंधी गुणों का दावा किया जाने पर वह दावा उस संघटक अथवा पदार्थ का परिमाण बताने की मान्य पद्धतियों के माध्यम से वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित किया जाए, जिसके आधार पर दावा किया गया हो।

(7) जब खाद्य की लेबलिंग, प्रस्तुतीकरण अथवा विज्ञापन में आने वाले ट्रेड मार्क, ब्रांड नाम अथवा फैंशी नाम में प्रयुक्त "प्राकृतिक", "ताजा", 'शुद्ध", 'मौलिक", "पारंपरिक", "प्रामाणिक", "असली", सही" इत्यादि विशेषण शब्दों का अर्थ ऐसा हो कि उससे पदार्थ की प्रकृति के बारे में उपभोक्ता के भ्रमित होने की संभावना हो, तो ऐसे मामलों में लेबल पर निम्नलिखित उल्लेख वाला 3 मि.मी से अन्यून आकार का अस्वीकरण दिया जाए -

"यह केवल ब्रांड नाम अथवा ट्रेड मार्क है और इससे इसकी सही प्रकृति नहीं झलकती।"

(8) किसी दावे से संबंधित सभी अस्वीकरण दृश्यमान और सुपाठ्य हों।

(9) खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 के अनुसार भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के लोगो और अनुज्ञप्ति संख्या की अनिवार्य रूप से घोषणा करने की अपेक्षा के होते हुए भी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के लोगो और अनुज्ञप्ति संख्या का उपयोग करके दावा या खाद्य वस्तुओं की बिक्री, आपूर्ति, उनके उपयोग अथवा उपभोग को बढ़ावा देने का कार्य न किया जाए।

(10) विज्ञापनों में स्वस्थ जीवन शैली की महत्ता को भी कम करके न दिखाया जाए।

(11) जब तक खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) के अंतर्गत निर्धारित अन्य किसी विनियम में भोजन के विकल्प के रूप में विशिष्ट रूप में अनुमत न हो, खाद्य अथवा सुपाय के विज्ञापनों में उन्हें भोजन के विकल्प के रूप में बढ़ावा न दिया जाए अथवा चित्रित न किया जाए।

(12) विज्ञापनों में दावे खाद्य अथवा सुपाय के लेबल अथवा पैकिंग पर दी गई सूचना के अनुरूप हों।

(13) उपभोक्ताओं के लिए भ्रामक खाद्य पदार्थ का कोई विज्ञापन न दिया जाए।

(14) इन विनियमों के अंतर्गत विज्ञापनों में अपेक्षित हर घोषणा दृश्यमान और सुपाठ्य हो।

5. पोषण संबंधी दावे .-

(1) पोषण के संबंध में किए गए दावे :

(क) पोषक तत्व के दावे; अथवा

(ख) पोषक तत्व के तुलनात्मक दावे

के रूप में हो सकते हैं।

(2) निम्नलिखित विवरण पोषण संबंधी दावे नहीं हैं :

(क) संघटकों की सूची में पदार्थों का उल्लेख;

(ख) पोषण से संबंधित लेबलिंग के अनिवार्य अंग के रूप में पोषक तत्वों का उल्लेख;

(ग) लेबल पर कतिपय पोषक तत्वों अथवा संघटकों की मात्रा अथवा गुणता की घोषणा, यदि वह खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) और उसके अंतर्गत बने नियमों और विनियमों द्वारा अपेक्षित हो।

(3) पोषक तत्व अथवा उसके तुलनात्मक दावे अथवा कोई समानार्थी दावे अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार किए जाएँगे, बशर्ते कि पोषण संबंधी दावे की शब्दावली में अनुसूची 2 के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है अथवा किसी अन्य शब्द का प्रयोग अनुसूची 1 में निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार किया जा सकता है, परंतु दावे का अर्थ न बदले।

(4) जहां पोषक तत्व का तुलनात्मक दावा करने की स्थिति में खाद्य तुलनागत एक ही आहार अथवा मिलते-जुलते आहार के विभिन्न रूप में हों और उनकी पहचान आसानी से की जा सके तथा तुलनागत खाद्यों के दावे वाले मानदंडों में तुलनात्मक अंतर –

(क) ऊर्जा अथवा सूक्ष्म पोषक तत्वों और सोडियम संबंधी दावों के लिए क्रमश: ऊर्जा मान अथवा पोषक तत्व के अंश में अल्पतम 25% और अनुसूची 1 में ''अल्प'' अथवा ''स्रोत'' के रूप में परिभाषित आँकड़ों के समतुल्य अल्पतम परम अंतर।

(ख) सोडियम के अलावा अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों के दावों के लिए अल्पतम 10% आर.डी.ए।

(5) इसके अतिरिक्त तुलनात्मक दावे की स्थिति में तुलनागत खाद्यों की पहचान और प्रति शत, अंश अथवा किसी परम मात्रा के रूप में व्यक्त अंतर दावे के निकटतम हो ।

(6) ''[खाद्य] के रूप में [पोषक तत्व] की समान मात्रा से युक्त'' और ''[खाद्य] के रूप में समान [पोषक तत्व]'' वाक्यांशों के रूप में समतुल्यता के दावे लेबल पर अथवा खाद्य पदार्थों की लेबलिंग पर किए जा सकते हैं, बशर्ते कि संदर्भत खाद्य में पोषक तत्व की मात्रा उस खाद्य को उस पोषक तत्व के ''स्रोत'' के रूप में मानने के लिए पर्याप्त हो और लेबल लगा खाद्य प्रति 100 ग्रा अथवा 100 मि.ली उस पोषक तत्व का समतुल्य स्रोत हो (उदाहरण के लिए "उतने ही रेशे जितने एक सेब में होते हैं", और "उतना ही विटामिन सी, जितना एक गिलास संतरे के रस में होता है")।

6. अयोजन संबंधी दावे.-

(1) **शर्कराओं का अयोजन.-** (क) किसी खाद्य में शर्कराओं के अयोजन संबंधी दावे निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन किए जा सकते हैं:

(i) खाद्य में किसी भी तरह की कोई शर्करा (उदाहरण: सूक्रोज, ग्लुकोज, शहद, खंडसारी, मक्का सिरप इत्यादि) न डाली गई हो;

(ii) खाद्य में ऐसे कोई संघटक न हों, जिनमें शर्करा संघटक के रूप में होती है (उदाहरण: जैम, जैली, मीठा चॉकलेट, मीठे फलों के टुकड़े इत्यादि);

(iii) खाद्य में शर्करा वाले ऐसे कोई संघटक न हों, जो योजित शर्करा के विकल्प होते हैं (उदाहरण: गैर-पुन: संघटित सांद्र फल रस, सूखा फल पेस्ट इत्यादि); और

IndiaCode

(iv) खाद्य का अपना शर्करा अंश किन्हीं अन्य तरीकों से उसके संघटकों के कुल शर्करा अंश से अधिक न बढ़ाया गया हो (उदाहरण: शर्करा विमुक्त करने के प्रयोजन से मांड का जल-अपघटन करने हेतु एन्जाइमों का उपयोग)।

(ख) किसी खाद्य में शर्कराओं के अयोजन के दावे तब भी किए जा सकते हैं, जब शर्कराएँ खाद्य में प्राकृतिक रूप से विद्यमान हों, और ऐसी स्थिति में लेबल पर निम्नलिखित संकेत भी हो:

"प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली शर्करायुक्त"।

(2) सोडियम लवणों का गैर-अपरिवर्धन.- किसी खाद्य में लवण (सोडियम क्लोराइड) के अपरिवर्धन संबंधी दावे, जिनमें "कोई योजित लवण नहीं" दावे शामिल हैं, निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन किए जा सकते हैं, अर्थात्:-

(क) खाद्य में कोई परिवर्धित लवण (सोडियम क्लोराइड) न हो; और

(ख) खाद्य में परिवर्धित लवण (सोडियम क्लोराइड) वाले संघटक न हों, जिनमें चटनी, अचार, पेपरोनी, सोया सॉस, नमकीन मछली, मछली सॉस इत्यादि शामिल हैं, किन्तु जो इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

(3) सहयोज्य पदार्थों का अपरिवर्धन.- किसी खाद्य में सहयोज्य पदार्थों, जिनमें खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 में यथा विनिर्दिष्ट सहयोज्य पदार्थों की प्रयोजन मूलक श्रेणियाँ शामिल हैं, के अपरिवर्धन संबंधी दावे तभी किए जा सकते हैं, जब दावे के अंतर्गत सहयोज्य पदार्थ –

(क) खाद्य में न डाला गया हो;

(ख) खाद्य के किसी संघटक में शामिल न हो;

(ग) ऐसा हो जो खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 में यथाविनिर्दिष्ट विशिष्ट पदार्थों में योजन के लिए अनुज्ञा हो; और

(घ) खाद्य के समतुल्य लक्षण लाने वाले किसी दूसरे सहयोज्य पदार्थ से प्रतिस्थापित न किया गया हो।

(4) अपरिवर्धन दावों के संबंध में अतिरिक्त शर्तें.- उपभोक्ताओं के दावों को समझने में सहायता करने के लिए अपरिवर्धन दावों के साथ अतिरिक्त शर्तें और/अथवा अस्वीकरण संबंधी कथनों का उपयोग किया जा सकता हे बशर्ते कि अस्वीकरण कथन दृश्यमान और सुबोध हो।

7. स्वास्थ्य संबंधी दावे.-

(1) स्वास्थ्य संबंधी दावे नीचे दी गई शर्तों और घोषणाओं का पालन करेंगे:

(क) स्वास्थ्य संबंधी दावे दो भागों में अवश्य हों, अर्थात्-

(i) पोषक तत्व अथवा पदार्थ के शरीर-रचना में योगदान अथवा स्वीकार्य आहार-स्वास्थ्य संबंध के बारे में सूचना; और

(ii) पोषक तत्व अथवा पदार्थ के शरीर-रचना में योगदान से संगत उत्पाद के संघटन अथवा स्वीकार्य आहार-स्वास्थ्य संबंध संबंधी सूचना, यदि वह संबंध संपूर्ण खाद्य अथवा खाद्य पदार्थों पर आधारित न हो, जिनमें अनुसंधान से खाद्य के विशिष्ट संघटकों से कोई संबंध स्थापित न हुआ हो;

(ख) यदि दावागत लाभ खाद्य में किसी ऐसे संघटक, जिसका आर.डी.ए मान स्थापित हो, के कारण होने वाला बताए जाने की स्थिति में प्रश्नगत खाद्य:

IndiaCode

(i) बढ़ते उपभोग की अनुशंसा की स्थिति में अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार संघटक का एक स्रोत हो अथवा उससे विपुल हो; अथवा

(ii) घटते उपभोग की अनुशंसा की स्थिति में अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार उसमें संघटक की मात्रा अल्प अथवा अपचयित हो अथवा वह उससे मुक्त हो।

(ग) दावागत पोषक तत्व अथवा पदार्थ की खाद्य के प्रति 100 ग्रा अथवा 100 मि.ली. अथवा प्रति पैक (एक बार सेवनीय पैक) मात्रा के बारे में कथन;

(घ) जहाँ लागू हो, लक्षित समूह का उल्लेख हो अथवा जहाँ कतिपय प्रति-संकेत हों, वहाँ प्रभाव्य समूह को उस खाद्य के सेवन अथवा उससे परहेज रखने के बारे में सलाह दी जाए;

(ङ) जहाँ उपयुक्त हो, आहार और जीवन शैली संबंधी अन्य कारकों के प्रसंग में दावागत लाभ लेने के लिए खाद्य के उपयोग संबंधी निर्देश;

(च) खाद्य अथवा इसके संघटक का अधिकतम सुरक्षित उपयोग, यदि आवश्यक हो।

(2) पोषक तत्वों के कार्य संबंधी दावे और अन्य कार्य संबंधी दावे मौजूदा संगत वैज्ञानिक पुष्टि के आधार पर किए जाएँ और डैटा के सामान्यत: स्वीकृत वैज्ञानिक पुनरीक्षा द्वारा मान्य दावागत प्रभाव की किस्म और उसके स्वास्थ्य के संबंध के बारे में पर्याप्त साक्ष्य दिए जाएँ और खाद्य कारोबारी नया ज्ञान होने पर वैज्ञानिक पुष्टि की पुनरीक्षा करे और दावों को तदनुसार अद्यतन करे।

(3) उन खाद्यों द्वारा बीमारियों के जोखिम कम करने के दावे न किए जाएँ, जो अनुसूची 3 में निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार न हों।

(4) खाद्य सुरक्षा और मानक (दृढ़ीकृत खाद्य) विनियम, 2018 के अनुसार पौष्टित खाद्य वस्तुएँ अनुसूची 4 के उपबंधों के अनुसार स्वास्थ्य संबंधी दावे कर सकती हैं और यदि दावे का तात्पर्य न बदले तो दावे की शब्दावली में बदलाव स्वीकरणीय है।

(5) जहां दावागत स्वास्थ्य लाभ सीधे उत्पाद के कारण बताए जाने पर वह सुविचारित मानव-दखल से किए गए अध्ययन के बाद प्राप्त सांख्यिकीय रूप से सार्थक परिणामों के आधार पर हो और अच्छी चिकित्सा रीतियों (जी.सी.पी) के सिद्धांतों के अनुसार सुस्थापित अनुसंधान संस्थाओं द्वारा अथवा उनके मार्गदर्शन में अच्छी तरह डिजाइन करके, अनुभवी व्यक्तियों द्वारा समीक्षित अथवा उन द्वारा पुनरीक्षित प्रतिष्ठित वैज्ञानिक जर्नलों में प्रकाशित पेपरों के आधार पर किया जाएगा।

8. आहारिक दिशा-निर्देशों अथवा स्वास्थ्यकर आहारों संबंधी दावे.- (1) भारतीयों के लिए आई.सी.एम.आर के आहारिक दिशा-निर्देशों के अनुसार खान-पान के तौर-तरीकों का हवाला देते हुए "स्वास्थ्यकर आहार" अथवा किसी समानार्थी पद से संबंधित दावे किए जा सकते हैं और लेबल पर खान-पान के तौर-तरीकों के आधार पर खाद्य से संबंधित कथन हो।

(2) स्वास्थ्यकर आहार, संतुलित आहार के रूप में व्यक्त आहारों का वर्णन उसके किसी एक या अधिक चुनिंदा पहलू के आधार पर न किया जाए। वे वैज्ञानिक साक्ष्यों पर आधारित भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् की पोषक तत्वों संबंधी अपेक्षाओं और भारतीय के लिए अनुशंसित आहार मान तथा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के भारतीयों के लिए आहार संबंधी दिशा-निर्देशों से संबंधित अन्य मुख्य पोषक तत्वों के मानदंड भी पूरा करें।

(3) आहारों का "स्वास्थ्यकर" उल्लेख न किया जाए अथवा उन्हें इस प्रकार पेश न किया जाए जिससे यह अभिप्राय निकले कि स्वयं वह आहार ही स्वास्थ्य प्रदान कर देगा।

(4) यदि दावे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के भारतीयों के लिए अनुशंसित आहार मान और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के भारतीयों लिए आहारीय दिशा-निर्देशों में उल्लिखित खान-पान के ढंग के अनुसार हों तो शब्दावली में परिवर्तन स्वीकरणीय है।

9. सशर्त दावे.- (1) किसी खाद्य के किसी विशिष्ट पोषक तत्व में प्राकृतिक रूप से समृद्ध, अल्प अथवा मुक्त होने का दावा किया जा सकता है, बशर्ते कि दावे के कथन में पोषक तत्व अथवा पदार्थ के नाम से पहले 'प्राकृतिक/प्राकृतिक रूप से' शब्दों का प्रयोग किया जाए।

स्पष्टीकरण : ''प्राकृतिक रूप से अल्प (पोषक तत्व अथवा पदार्थ का नाम बताते हुए) खाद्य'' अथवा ''प्राकृतिक रूप से (पोषक तत्व अथवा पदार्थ का नाम बताते हुए) मुक्त खाद्य''।

(2) 'प्राकृतिक', 'ताजा', 'शुद्ध', 'मौलिक', 'पारंपरिक', 'प्रामाणिक', 'असली', 'वास्तविक, आदि विशेषण वाले दावे किए जाने पर वे अनुसूची 5 में दी गई शर्तों के अनुसार हों और ''घर का बना'', ''घर पर तैयार'' आदि शब्दों और पदों वाले दावे, जिनसे उपभोक्ता में गलत धारणा बने, न किए जाएँ।

10. निषिद्ध दावे.- (1) खाद्य के किसी बीमारी, विकार, विशिष्ट शारीरिक दशा के निवारण, सुधार, उपचार अथवा इलाज में उपयोग की उपयुक्तता का हवाला देते हुए तब तक कोई दावा न किया जाए, जब तक वह खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) के अंतर्गत बने किसी अन्य विनियम के अंतर्गत विशिष्ट रूप से अनुमत न हो।

(2) बिक्री के लिए खाद्य वाले किसी पैकेज के लेबल पर ''चिकित्सा अथवा पोषण अथवा स्वास्थ्य वृतिकों द्वारा अनुशंसित'' शब्दों अथवा ऐसे शब्दों, जिनसे यह तात्पर्य या सुझाव हो कि खाद्य चिकित्सकों द्वारा अनुशंसित, विहित अथवा अनुमोदित है अथवा उसे चिकित्सीय प्रयोजन के लिए अनुमोदित किया गया है, का प्रयोग न किया जाए।

(3) कोई उत्पाद 'योजित पोषक तत्व' का दावा न करे यदि ऐसे पोषक तत्व केवल आहार के प्रसंस्करण के दौरान समाप्त हुए अथवा निकाले गए पोषक तत्वों की पूर्ति के रूप में डाले गए हों।

(4) विशेष आहारिक उपयोग अथवा विशेष चिकित्सीय प्रयोजन के आहारों पर तब तक कोई दावा न किया जाए जब तक उसके बारे में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) के अंतर्गत बने किन्हीं अन्य विनियमों द्वारा विशेष रूप से अनुमति न हो।

(5) ऐसे दावे न किए जाएँ, जिनसे मिलते-जुलते खाद्य की सुरक्षा के बारे में कोई संदेह अथवा शंका पैदा हो जाए अथवा जिनसे कोई डर पैदा हो जाए।

(6) ऐसे खाद्यों के लिए कोई स्वास्थ्य संबंधी दावे न किए जाएँ, जिनमें पोषक तत्व अथवा संघटक इतनी मात्रा में हो जिनसे कोई बीमारी होने अथवा स्वास्थ्य संबंधी प्रतिकूल दशा उत्पन्न होने का जोखिम हो।

(7) किसी खाद्य कारोबार द्वारा किसी खाद्य वस्तु के लिए कोई ऐसा विज्ञापन न दिया जाए और/अथवा दावा न किया जाए, जिसमें अपने उत्पादों को बढ़ावा देने अथवा उपभोक्ता के व्यवहार को प्रभावित करने के लिए किसी अन्य उत्पादक के उत्पाद को कम करके आँका जा रहा हो।

11. दावों का अनुमोदन.- खाद्य कारोबारी अथवा विपणक उन दावों को छोड़कर, जो परिभाषित हैं और जिनके संबंध में इन विनियमों अथवा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) के अंतर्गत बने किन्हीं अन्य विनियमों में मानदंड निर्धारित हैं, बीमारी के जोखिम को कम करने का अन्य दावा करने के लिए खाद्य प्राधिकरण से पूर्व अनुमति प्राप्त करेगा।

12. दावों के अनुमोदन की प्रक्रिया.- (1) खाद्य कारोबारी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विहित लागू फीस के साथ निम्नलिखित सूचना देते हुए आवेदन करेगा, अर्थात्,-

i. किया जाने वाला दावा;

ii. उस संघटक, पोषक तत्व अथवा पदार्थ का नाम, जिसके आधार पर दावा किया जा रहा हो;

Indiacode

iii. दावागत संघटक अथवा पदार्थ के विश्लेषण की विधिमान्य की पद्धति;

iv. दावे को पुष्ट करने वाली वैज्ञानिक सूचना अथवा सामग्रियाँ;

v. दावा कितना स्पष्ट और अर्थपूर्ण है और उससे उपभोक्ता को दी गई सूचना को समझने में कितनी सहायता मिलती है;

vi. स्थापित अनुसंधान संस्थाओं द्वारा अथवा उनके मार्गदर्शन में किए गए स्वास्थ्य संबंधी दावों के लिए सुविचारित मानव दखल के अध्ययन का विवरण; और

vii. अन्य कोई लाभदायक सूचना।

(2) खाद्य प्राधिकरण खाद्य कारोबारियों अथवा विपणकों द्वारा दावों के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत आवेदनों की प्रारंभिक जाँच स्वयं कर सकती है अथवा इसके लिए कोई अभिकरण अथवा पैनल नियुक्त कर सकती है।

(3) यदि जाँच में कोई कमी पाई जाए तो उसे खाद्य कारोबारी को आवेदन प्राप्त होने के नब्बे दिनों के अंदर सूचित कर दिया जाए और खाद्य कारोबारी खाद्य प्राधिकारण से पत्र प्राप्त होने के तीस दिन के अंदर अपेक्षित सूचना उपलब्ध कराएगा और ऐसा न करने पर आवेदन को अन्य कोई सूचना दिए बिना निरस्त किया जा सकता है।

(4) मान्यता के लिए आवेदक से संदत्त फीस किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।

(5) जाँच के बाद खाद्य प्राधिकरण संबंधित दावों के अनुमोदन अथवा निरसन के बारे में स्पष्ट आदेश जारी कर सकती है और संबंधित दावे में संशोधन का सुझाव भी दे सकती है।

(6) उप-विनियम (5) में निर्दिष्ट संशोधित दावा खाद्य प्राधिकरण को पुनर्विचार के लिए तीस दिन के अंदर प्रस्तुत किया जा सकता है।

(7) निरसन के मामले में खाद्य कारोबारी अथवा विपणक बिक्री अथवा बिक्री के संवर्धन, आपूर्ति, उपयोग अथवा सेवन के लिए प्रस्तुत खाद्य वस्तुओं के विज्ञापन और विपणन संवादों में उस दावे का उपयोग नहीं करेगा।

13. अननुपालन का निपटान.- कोई भी वह व्यक्ति, जो इस विनियम के उल्लंघन में विज्ञापन देता है अथवा किसी विज्ञापन अथवा दावे के प्रकाशन का पक्ष बनता है, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) के अनुसार दंडनीय होगा।

14. अननुपालन पर कार्रवाई की प्रक्रिया.- (1) भ्रामक दावों को खाद्य प्राधिकरण को भेजा जा सकता है अथवा खाद्य प्राधिकरण भ्रामक दावे पर स्वत: कार्रवाई कर सकती है और वह उसका विश्लेषण स्वयं कर सकती है अथवा उसके लिए कोई अभिकरण अथवा पैनल नियुक्त कर सकती है।

(2) अभिकरण अथवा खाद्य प्राधिकरण द्वारा खाद्य कारोबारी अथवा विपणक से कोई सूचना मांगी जाने पर खाद्य प्राधिकरण स्पष्टीकरण मांगेगी, जिसके प्राप्त न होने पर विनियम 13 के उप-विनियम (1) के अनुसार कार्रवाई आरंभ की जा सकती है।

(3) खाद्य कारोबारी अथवा विपणक मांगी गई सूचना पत्र जारी होने के तीस दिन के अंदर प्रस्तुत करेगा।

(4) प्रस्तुत की गई सूचना की जाँच करने के बाद प्राधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी भ्रामक दावों के बारे में प्रस्तुत किए गए स्पष्टीकरण के स्वीकरण अथवा निरसन के बारे में स्पष्ट आदेश नब्बे दिनों के अंदरी जारी करेगा।

(5) खाद्य प्राधिकरण संबंधित दावे में सुधार करने का सुझाव भी दे सकती है और इस प्रकार संशोधित दावा खाद्य प्राधिकरण को पत्र जारी होने के पैंतालीस दिन के अंदर सूचित किया जा सकता है।

15. सुधारात्मक विज्ञापन.- किसी विज्ञापन के इन विनियमों के उल्लंघन में पाए जाने पर खाद्य प्राधिकरण, आदेश द्वारा, संबंधित खाद्य कारोबारी अथवा विज्ञापनदाता को उसे देना तुरंत बंद करने और उस विज्ञापन के प्रभाव को खत्म करने के लिए उसी माध्यम से तीस दिन के अंदर सुधारात्मक विज्ञापन देने को कह सकती है।

IndiaCode

अनुसूची 1

[विनियम 5(3) और (4) और विनियम 7(1)(ख) देखें]

पोषण संबंधी दावे

यह दावा कि स्तम्भ (2) में उल्लिखित पोषक तत्व से युक्त किसी आहार से स्तम्भ (3) में उल्लिखित फायदा होने की संभावना है अथवा जिससे उपभोक्ता के लिए उसका वही अर्थ होगा,जो नीचे स्तम्भ (4) में दी गई शर्तों के अध्यधीन किया जा सकता है:

(1)	(2)	(3)	(4)
क्रम सं0	पोषक तत्व/ संघटक	दावा	शर्तें
1.	ऊर्जा/कैलोरी	अल्प	से अनधिक 40 कि.कै.# प्रति 100 ग्रा, ठोस पदार्थों के लिए 20 कि.कै. प्रति 100 मि.ली., द्रव पदार्थों के लिए
		मुक्त	से अनधिक 4 कि.कै. प्रति 100 मि.ली., द्रव पदार्थों के लिए
2.	वसा	अल्प	से अनधिक 3 ग्रा वसा प्रति 100 ग्रा, ठोस पदार्थों के लिए अथवा 1.5 ग्रा वसा प्रति 100 मि.ली., द्रव पदार्थों के लिए
		मुक्त	से अनधिक 0.5 ग्रा वसा प्रति 100 ग्रा, ठोस पदार्थों के लिए अथवा 100 मि.ली., द्रव पदार्थों के लिए
3.	कोलेस्ट्रोल	अल्प	से अनधिक 20 मिग्रा कोलेस्ट्रोल प्रति 100 ग्रा, ठोस पदार्थों के लिए और 1.5 ग्रा सैच्युरेटित फैट प्रति 100 ग्रा, ठोस पदार्थों के लिए अथवा 10 मिग्रा प्रति 100 मि.ली., द्रव पदार्थों के लिए और 0.75 ग्रा सैच्युरेटित फैट प्रति 100 मि.ली, द्रव पदार्थों के लिए और दोनों मामलों में सैच्युरेटित फैट से 10% से अधिक ऊर्जा न मिले।
		मुक्त*	से अनधिक 5 मिग्रा कोलेस्ट्रोल प्रति 100 ग्रा, ठोस पदार्थों के लिए अथवा 100 मि.ली., द्रव पदार्थों के लिए। इसके अतिरिक्त आहार में यह अनधिक हो 1.5 ग्रा सैच्युरेटित फैट प्रति 100 ग्रा, ठोस पदार्थों के लिए अथवा 0.75 ग्रा सैच्युरेटित फैट प्रति 100 मि.ली., द्रव पदार्थों के लिए और दोनों मामलों में सैच्युरेटित फैट से 10% से अधिक ऊर्जा न मिले।

IndiaCode

4. 5	सैच्युरेटिट फैट	अल्प*	से अनधिक 1.5 ग्रा प्रति 100 ग्रा, ठोस पदार्थों के लिए अथवा 0.75 ग्रा प्रति 100 मि.ली., द्रव पदार्थों के लिए और दोनों मामलों में सैच्युरेटिट फैट से 10% से अधिक ऊर्जा न मिले।
		मुक्त	सैच्युरेटिट फैटी एसिड निम्न से अधिक न हो 0.1 ग्रा प्रति 100 ग्रा अथवा खाद्य का 100 मि.ली.
5.	असैच्युरेटिट फैट	विपुल*	उत्पाद में विद्यमान कम से कम 70% वसीय अम्ल अनसैच्युरेटिट फैट से इस शर्त के साथ लिए जा सकते हैं कि अनसैच्युरेटिट फैट उत्पाद की 20% से अधिक ऊर्जा दे।
6.	ट्रांस फैट	मुक्त	खाद्य में ट्रांस फैट 0.2 ग्रा से न्यून प्रति 100 ग्रा अथवा 100 मि.ली हो।
7.	एम.यू.एफ.ए	एम.यू.एफ.ए में विपुल*	केवल तभी दावा किया जाए, जब हो उत्पाद में विद्यमान कुल 45% वसीय अम्ल मोनोअनसैच्युरेटिट फैट से इस शर्त के साथ लिए जाएँ कि मोनोअनसैच्युरेटिट फैट उत्पाद के 20% से अधिक ऊर्जा दे।
8.	पी.यू.एफ.ए	पी.यू.एफ.ए विपुल*	केवल तभी दावा किया जाए, जब हो उत्पाद में विद्यमान कुल 45% वसीय अम्ल पॉलिअनसैच्युरेटिट फैट से इस शर्त के साथ लिए जाएँ कि पॉलिअनसैच्युरेटिट फैट उत्पाद के 20% से अधिक ऊर्जा दे।
9.	ओमेगा 3 वसीय अम्ल	स्रोत	उत्पाद में हो: कम से कम 0.3 ग्रा अल्फा-लिनोलेनिक एसिड प्रति100 ग्रा और प्रति 100 कि.कै., अथवा आइकोसैपेंटानोइक एसिड और डोकोसाहेक्सानोइक एसिड को मिलाकर कम से कम 40 मि.ग्रा. प्रति 100 ग्रा और प्रति 100 कि.कै.
		विपुल	उत्पाद में हो: कम से कम 0.6 ग्रा अल्फा-लिनोलेनिक एसिड प्रति 100 ग्रा और प्रति 100 कि.कै., अथवा आइकोसैपेंटानोइक एसिड तथा डोकोसाहेक्सानोइक एसिड को मिलाकर कम से कम 80 मि.ग्रा. प्रति 100 ग्रा और प्रति 100 कि.कै.
10.	शर्कराएँ	अल्प	उत्पाद में अनधिक हो 5 ग्रा शर्करा प्रति 100 ग्रा, ठोस पदार्थों के लिए अथवा 2.5 ग्रा शर्करा प्रति 100 मि.ली., द्रव पदार्थों के लिए
		मुक्त	उत्पाद में अनधिक हो 0.5 ग्रा शर्कराएँ प्रति 100 ग्रा, ठोस पदार्थों के लिए अथवा 100 मि.ली, द्रव पदार्थों के लिए
11.	प्रोटीन	स्रोत*	10% आरडीए प्रति 100 ग्रा, ठोस पदार्थों के लिए 5% आरडीए प्रति 100 ग्रा, द्रव पदार्थों के लिए अथवा 5% आरडीए प्रति 100 कि.कै.

India Code

		समृद्ध/ विपुल*	20% आरडीए प्रति 100 ग्रा, ठोस पदार्थों के लिए 10% आरडीए प्रति 100 ग्रा, द्रव पदार्थों के लिए अथवा 10% आरडीए प्रति 100 कि.कै.
12.	विटामिन और/अथवा खनिज	स्रोत	आहार में कम से कम निम्न मात्रा में हो विटामिन/खनिज का 15% आर.डी.ए प्रति 100 ग्रा, ठोस पदार्थों के लिए अथवा विटामिन/खनिज का 7.5% आर.डी.ए प्रति 100 मि.ली., द्रव पदार्थों के लिए
		विपुल	खाद्य में कम से कम हो 30% आर.डी.ए प्रति 100 ग्रा, ठोस पदार्थों के लिए अथवा 15% आर.डी.ए प्रति 100 मि.ली, द्रव पदार्थों के लिए
13.	सोडियम	अल्प	उत्पाद में अनधिक हो 0.12 ग्रा सोडियम प्रति 100 ग्रा, ठोस पदार्थों के लिए अथवा 100 मि.ली., द्रव पदार्थों के लिए
		अत्यल्प	उत्पाद में अनधिक हो 0.04 ग्रा सोडियम प्रति 100 ग्रा, ठोस पदार्थों के लिए अथवा 100 मि.ली., द्रव पदार्थों के लिए
		सोडियम मुक्त	उत्पाद में अनधिक हो 0.005 ग्रा सोडियम, प्रति 100 ग्रा, ठोस पदार्थों के लिए अथवा 100 मि.ली., द्रव पदार्थों के लिए
14.	आहारिक रेशा	स्रोत	उत्पाद में कम से कम में हो 3 ग्रा रेशा प्रति 100 ग्रा अथवा 1.5 ग्रा प्रति 100 कि.कै.
		विपुल अथवा बहुल	उत्पाद में कम से कम निम्न मात्रा में हो 6 ग्रा प्रति 100 ग्रा अथवा 3 ग्रा प्रति 100 कि.कै.
15.	प्रोबायोटिक	स्रोत	उत्पाद में प्रति दिन अनुशंसित परोसे के माप में $\geq 10^8$ cfu हो।
16.	ग्लिसमिक इंडेक्स (जीआई)	अल्प जीआई*	55 से कम जीआई मान आहार का जीआई वह दर बताता है, जिस दर पर आहार में कार्बोहाइड्रेट का ग्लुकोज में विभंजन होता है और उसका खाद्य नली से रक्त में अवशोषण होता है और जो किसी मानक आहार, व्हाइट ब्रेड, से प्राप्त कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा को मिली प्रतिक्रिया के प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है।

टिप्पण: स्वास्थ्य पूरक श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले खाद्य उत्पादों में पोषक तत्वों के अंशों संबंधी दावे खाद्य सुरक्षा और मानक (स्वास्थ्य अनुपूरक, न्युट्रास्युटिकल्स, विशेष आहार विषयक उपयोग के लिए खाद्य, विशेष चिकित्सीय प्रयोजन के लिए खाद्य, कृत्यकारी और नूतन खाद्य) विनियम, 2016 के अंतर्गत निपटाए जाएँगे।

IndiaCode

#1 कि.कै. = 4.2 कि.जूल

* ये दावे करने के लिए आहार का विशिष्ट पोषक तत्व निम्नलिखित न्यूनतम निर्दिष्ट ऊर्जा देगा:

$$\text{पोषक तत्व से प्राप्त \% ऊर्जा} = \frac{\text{प्रति 100 ग्रा उत्पाद में ग्रा पोषक तत्व x पोषक तत्व के लिए अंतरण घटक}}{\text{100 ग्रा उत्पाद से प्राप्त कुल ऊर्जा}} \times 100$$

अनुसूची 2

[विनियम 5(3) देखें]

इन विनियमों में परिभाषित दावों के लिए प्रयुक्त किए जा सकने वाले समानार्थी

मुक्त	अल्प	न्यूनीकृत/कम	उच्च	स्रोत
शून्य, नहीं, बिना, तुच्छ, नगण्य, स्रोत	थोड़ा, कुछ (कैलोरियों के लिए), की थोड़ी मात्रा है, का अल्प स्रोत है, हल्का	अल्पतर, कुछतर (कैलोरियों के लिए)	उच्चतर, वर्धित, अधिक, समृद्ध, बढ़ा हुआ	देता है, युक्त है

अनुसूची 3

[विनियम 7(3) देखें]

स्वास्थ्य संबंधी दावे	
प्रारंभिक टिप्पण	*स्वास्थ्य संबंधी दावे निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार किए जाएँ:* *1. स्वास्थ्य संबंधी दावे सदा संतुलित आहार के भाग के रूप में किए जाएँ।* *2. दावागत फायदा लेने के लिए निम्नलिखित दो शर्तों का अनुपालन किया जाए-* *क. पोषक तत्व/संघटक की खाद्य के प्रति परोसे निर्दिष्ट मात्रा, उदाहरण के लिए 1 ग्रा 'एक्स' पोषक तत्व* *ख. यह कथन कि दावागत फायदा लेने के लिए पोषक तत्व/संघटक की दैनिक खुराक (उदाहरण के लिए 3 ग्रा 'एक्स' पोषक तत्व) या तो एक ही खाद्य से ली जाए अथवा किसी ऐसे अन्य खाद्य से ली जाए जिसमें लाभदायक पोषक तत्व/संघटक हों।* *3. विटामिनों और खनिजों के बारे में स्वास्थ्य के दावे – विटामिन और खनिज विशिष्ट के आर.डी.ए के बारे में एक कथन दिया जाए। आई.सी.एम.आर द्वारा कोई आर.डी.ए. न दिया हुआ होने पर कोडेक्स/डब्ल्यू.एच.ओ दिशा-निर्देशों में दिया गया आर.डी.ए लागू होगा।* 4. *दावों के नीचे दिए गए कथनों का लेबलों पर और/अथवा विज्ञापनों में उपयोग किया जा सकता है। परंतु खाद्य कारोबारी इस विनियम के अंतर्गत दी गई अनुसूची में दी गई शब्दावली को ही अथवा उससे मिलती-जुलती शब्दावली का प्रयोग कर सकता है, जबकि वह यह सुनिश्चित करे कि दावे का आशय और अर्थ न बदले।*

IndiaCode

क्रम सं.	पोषक तत्व/ आहार और स्वास्थ्य के मध्य संबंध	दावे की शर्तें	दावे के बारे में कथन
1.	**कैल्शियम अथवा कैल्शियम और विटामिन डी और अस्थिक्षरण**	○ खाद्य कैल्शियम अथवा कैल्शियम और विटामिन डी का स्रोत है अथवा इनसे बहुल है। ○ यह कथन कि फायदाग्राही प्रभाव दैनिक अनुशंसित खुराक (आर.डी.ए) से पड़ता है।	अस्थि-स्वास्थ्य के लिए और अस्थिक्षरण के जोखिम को कम करने के लिए पर्याप्त कैल्शियम (अथवा कैल्शियम और विटामिन डी) को संतुलित आहार के माध्यम से जीवन भर लेना अनिवार्य है।
2.	**सोडियम और अति उच्च रक्तचाप**	जिस खाद्य में - ○ सोडियम अल्प मात्रा में हो (0.12 ग्रा सोडियम/100 ग्रा अथवा 100 मि.ली.) ○ यह कथन कि लाभकारी प्रभाव अल्प सोडियम अंश वाले आहार से पड़ता है।	अल्प सोडियम वाले आहार उच्च रक्त चाप के जोखिम को कम कर सकते हैं।
3.	**आहारिक सैच्युरेटित वसा और रक्त कोलेस्ट्रोल स्तर**	○ अल्प सैच्युरेटित फैट ○ यह कथन कि लाभकारी प्रभाव वसा, सैच्युरेटित फैट और कोलेस्ट्रोल के अल्प मात्रा में सेवन से तथा शारीरिक गतिविधियों से पड़ता है।	अल्प सैच्युरेटित फैट वाले आहार आम रक्त कोलेस्ट्रोल के स्तर को बनाए रखने में सहायक होते हैं।
4.	**पोटाशियम और उच्च रक्त चाप का जोखिम**	आहार पोटाशियम का अच्छा स्रोत है तथा उसमें - ○ अल्प सोडियम है ○ कुल वसा, सैच्युरेटित फैट कम हैं।	पोटाशियम के अच्छे स्रोत वाले तथा अल्प सोडियम, वसा, सैच्युरेटित वसा वाले आहार उच्च रक्त चाप के जोखिम को कम कर सकते हैं।
5.	**अल्फा-लिनोलेनिक एसिड(ए.एल.ए) और रक्त कोलेस्ट्रोल स्तर**	○ खाद्य के प्रति 100 ग्रा अथवा 100 मि.ली अथवा 100 कि.कै. में कम से कम 1 ग्रा ओमेगा-3 वसीय अम्ल हों। ○ यह कथन कि लाभकारी प्रभाव प्रतिदिन 2 ग्रा ए.एल.ए लेने से पड़ता है।	अल्फा-लिनोलेनिक एसिड (ए.एल.ए) रक्त कोलेस्ट्रोल का आम स्तर बनाए रखने में सहायक होता है।
6.	**घुलनशील आहारिक रेशा और लिपिड प्रोफाइल**	○ खाद्य स्रोतों से घुलनशील आहारिक रेशा, जिनमें जई, जौ, मोटे अनाज अथवा इनके मिलावे शामिल हैं, किन्तु इन्हीं तक सीमित नहीं है ○ प्रति परोसे कम से कम 1 ग्रा है ○ यह कथन कि लाभकारी प्रभाव प्रति दिन 3 ग्रा घुलनशील आहारिक रेशा लेने से पड़ता है।	आहार के अंग के रूप में लिया गया घुलनशील आहारिक रेशा आम लिपिड प्रोफाइल बनाए रखने में सहायक होता है।

IndiaCode

7.	**फाइटोस्टेरोल अथवा स्टैनोल और लिपिड प्रोफाइल**	फाइटोस्टेरोल/स्टैनोल वाले आहार में ○ प्रति परोसे कम से कम 1 ग्रा पौध स्टेरोल अथवा स्टैनोल होता है और ○ यह कथन कि लाभकारी प्रभाव प्रतिदिन 3 ग्रा तक लेने से पड़ता है	पौध स्टेरोल अथवा स्टैनोल वाले आहार (जो भी लागू हो), जिनमें कम से कम 1 ग्रा पौध स्टेरोल अथवा स्टैनोल हो, आहार के साथ प्रति दिन दो बार में 3 ग्रा तक लेने से लिपिड प्रोफाइल में सुधार हो सकता है।
8.	**बीटा-ग्लुकान (जई, जौ) और रक्त ग्लुकोज**	○ आहार जई और/अथवा जौ है, ○ परिमाणकृत भाग में उपलब्ध प्रति 30 ग्रा कार्बोहाइड्रेटों में कम से कम 4 ग्रा बीटा-ग्लुकान है ○ यह कथन कि यह आहार के भाग के रूप में लिया जाता है।	जई अथवा जौ के बीटा-ग्लुकान आहार के अंग के रूप में लिए जाने पर आहार के बाद रक्त शर्करा कम करने में सहायक होते हैं।

अनुसूची 4

[विनियम 7(4) देखें]

पोष्टित खाद्य वस्तुओं के लिए स्वास्थ्य संबंधी दावे

IndiaCode

क्रम सं.	पोषक तत्व	दावे
1.	विटामिन ए	रतौंधी निवारण में सहायक होता है।
2.	विटामिन डी	हड्डियाँ मजबूत बनाने में सहायक होता है।
3.	विटामिन बी12	स्नायु तंत्र के सामान्य रूप से काम करते रहने और रुधिर-निर्माण में सहायक होता है।
4.	फोलेट और फोलिक एसिड	फोलेट और फोलिक एसिड भ्रूण विकास और रुधिर-निर्माण में सहायक होते हैं।
5.	लौह	लौह रक्तल्पता न होने देने में सहायक होता है।
6.	आयोडीन	आयोडीन सामान्य शारीरिक विकास, थायरॉयड और मस्तिष्क के कार्यकरण में आवश्यक होता है।
7.	जिंक	जिंक से रोग-निरोध क्षमता में सहायता मिलती है।
8.	थियामिन	थियामिन स्नायु तथा दिल के सामान्य रूप से कार्य करते रहने के लिए आवश्यक होता है।
9.	राइबोफ्लेविन	राइबोफ्लेविन खाद्य से ऊर्जा जारी कराने के लिए आवश्यक होता है।
10.	नियासिन	नियासिन खाद्य से ऊर्जा जारी कराने के लिए आवश्यक होता है।
11.	पायरीडोक्सीन	पायरीडोक्सीन खाद्य से ऊर्जा जारी कराने के लिए आवश्यक होता है।

अनुसूची 5

[विनियम 9(2) देखें]

कुछ शब्दों अथवा वाक्यांशों का प्रयोग

स्तम्भ 1 में उल्लिखित शब्दों अथवा वाक्यांशों का प्रयोग स्तम्भ 2 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार किया जाएगा:

क्रम सं.	स्तम्भ 1	स्तम्भ 2
1.	प्राकृतिक	इस शब्द का प्रयोग निम्नलिखित का वर्णन करने के लिए किया जा सकता है: क) कोई अकेला आहार, जो किसी मान्य स्रोत से व्युत्पन्न हो, उदाहरणार्थ पौधा, पशु, सूक्ष्म जीव अथवा खनिज, और जिसमें कुछ भी न डाला गया हो तथा जिसका केवल उतना प्रसंस्करण किया गया हो, जिससे वह मानव उपभोग के लायक बन जाए, यथा: i) रसायनों के बिना स्मोकिंग, पकाने की प्रक्रिया जैसे भुनाई, विवर्णन और निर्जलन और भौतिक परिशोधन; ii) प्रशीतन, सांद्रण, पाश्चुरीकरण, और निर्जर्मन और किण्वन; और iii) रसायनों और परिरक्षी पदार्थों के बिना की गई पैकिंग। ख) वे अनुमत खाद्य सहयोज्य पदार्थ जो प्राकृतिक स्रोतों से उपयुक्त भौतिक प्रसंस्करण करके प्राप्त किए जाते हैं। ग) सम्मिश्र आहारों को स्वयं में सीधे अथवा तात्पर्यिक रूप में ''प्राकृतिक'' न कहा जाए, परंतु सभी संघटकों और/अथवा खाद्य सहयोज्य पदार्थों के उपर्युक्त (क) और (ख) के मानदंड पूरे करने पर ऐसे आहारों को ''प्राकृतिक संघटकों से निर्मित'' कहा जा सकता है। परंतु यह कि उपर्युक्त सिद्धांत ''प्राकृतिक'' शब्द की जगह ''वास्तविक, ''असली'' आदि अन्य शब्दों और अभिव्यक्तियों के ऐसे प्रयोग पर भी लागू होता है, जिससे सदृश लाभ मिलने का तात्पर्य हो। परंतु यह भी कि ''प्राकृतिक उत्तमता'', ''प्राकृतिक रूप से बेहतर'', ''कुदरती ढंग'' आदि जैसे दावे न किए जाएँगे।
2.	ताजा	(क) ''ताजा'' शब्द का प्रयोग उन्हीं उत्पादों पर किया जाए जिन्हें धोने, छीलने, ठंडा करना, काटने-छाँटने या काटने, 1kGy से अनधिक आयनीकरण रेडिएशन से विकिरणित करने अथवा उत्पाद के आधारभूत लक्षणों को किसी भी भाँति बदले बिना उसे मानव उपभोग के लिए सुरक्षित बनाने के लिए आवश्यक अन्य प्रसंस्करण के अलावा उनका अन्य किसी भी तरह प्रसंस्करण न किया गया हो1 (ख) ''ताजा'' अथवा 'अभी'' शब्दों से वर्णनगत कार्य की तात्कालिकता को छोड़कर अन्य कोई संपृक्तार्थ न हो। सहयोज्य पदार्थ युक्त खाद्य और/अथवा पैकिंग, भंडारण अथवा ताजगी बनाए रखने के लिए आपूर्ति श्रृंखला की अन्य किसी प्रक्रिया से गुजरे खाद्य को ''अभी भंडारित'', ''अभी पैक किया गया'' इत्यादि न कहा जाए।
3.	शुद्ध	(क) ''शुद्ध'' शब्द का प्रयोग केवल एक संघटक वाले उस खाद्य का वर्णन करने के लिए किया जाए, जिसमें और कुछ न डाला गया हो और जो परिहार्य संदूषण से मुक्त हो तथा अपरिहार्य संदूषकों का स्तर खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, टोक्सिन और अवशिष्ट) विनियम, 2011 अथवा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम और उसके अंतर्गत बने नियमों और विनियमों के अंतर्गत अन्य किसी मानक में दिए गए स्तर से पर्याप्त रूप से कम हो। (ख) सम्मिश्र खाद्य को सीधे ही अथवा तात्पर्यिक रूप में सामान्यत: ''शुद्ध'' न कहा जाए, किन्तु उपर्युक्त (क) में दिए गए सभी मानदंड पूरे कर लेने पर ऐसे आहार को ''शुद्ध संघटकों से बना'' कहा जा सकता है। (ग) ''शुद्ध'' शब्द का प्रयोग किसी ब्रांड या फैंशी नाम में या किसी गढ़ी हुई अथवा निरर्थक शब्दावली में इस प्रकार शामिल न किया जाए जिससे यह तात्पर्य निकले कि उपर्युक्त मानदंडों को पूरा न करने वाला आहार शुद्ध है अथवा शुद्ध संघटकों से बना है।

4.	प्रामाणिक, असली, वास्तविक	इन शब्दों का प्रयोग तभी किया जाए जब लेबल और/अथवा विज्ञापन में यह भी स्पष्ट किया जाए कि किस प्रकार उत्पाद की समग्र गुणता वास्तव में औचित्यपूर्ण है और उस शब्द विशेष का प्रयोग क्यों किया गया है।
5.	पारंपरिक	''पारंपरिक'' शब्द का प्रयोग यह उल्लेख करने के लिए प्रमाण्य रूप में किया जाए कि किसी उत्पाद की कोई पाक्-विधि, मूल नुस्खा अथवा प्रसंस्करण पद्धति एक पीढ़ी (तीस वर्ष) तक बिना किसी बड़े बदलाव के चली आ रही है।
6.	मौलिक	(क) 'मौलिक'' शब्द का प्रयोग केवल उस आहार का वर्णन करने के लिए किया जाए जो किसी ऐसे नुस्खे से बना हो, जिसका मूल खोजा जा सके और जो समय बीतने के साथ तत्वत: अपरिवर्तित रहा हो। इसमें मुख्य संघटकों के बदले अन्य सामग्रियाँ शामिल न हों। इसे इसी प्रकार किसी प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, बशर्ते कि वह प्रक्रिया वही हो जिसका उपयोग आहार तैयार करने के लिए सबसे पहले किया गया था और जो समय के साथ तत्वत: अपरिवर्तित रही है, हालांकि अब खाद्य का बहुमात्र उत्पादन हो रहा है। (ख) ''मौलिक'' कहे जाने के लिए किसी उत्पाद का भौतिक रूप में कोई परिवर्तन न हुआ हो और नई किस्मों की शुरुआत के समय वह 'मानक' रूप में उपलब्ध हो। बाजार से कुछ समय तक लुप्त रहने के बाद बाजार में पुन: लाया गया उत्पाद केवल तभी ''मौलिक'' कहा जाए जब वह इन मानदंडों को पूरा करता हुआ दिखाया जा सके।

पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यपालक अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./356/18]

IndiaCode

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th November, 2018

F. No. 1-94/FSSAI/SP(Claims and Advertisements)/2017.—Whereas the draft of the Food Safety and Standards (Advertising and Claims) Regulations, 2018 was published as required under sub-section(1) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) vide notification of the Food Safety and Standards Authority of India F.No. 1-94/FSSAI/SP(Claims and Advertisements)/2017, dated the 13th March, 2018, in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby, before the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas copies of the said Official Gazette were made available to the public on the 23rd, March 2018;

And whereas objections and suggestions received on the said draft regulations have been considered by the Food Safety and Standards Authority of India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clauses (k) and (v) of sub-section (2) of section 92, read with the section 23 and section 24 of Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following regulations, namely:-

Regulations

1. Short title and commencement- (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Advertising and Claims) Regulations, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette and Food Business Operator shall comply with all the provisions of these regulations by 1st July, 2019.

2. Definitions – (1) In these regulations unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006);

(b) "advertisement" means any audio or visual publicity, representation or pronouncement made by means of any light, sound, smoke, gas, print, electronic media, internet or website and includes through any notice, circular, label, wrapper, or other documents;

(c) "balanced diet" means a diet containing all essential (macro and micro) nutrients in optimum quantities and in appropriate proportions that meet the requirements;

(d) "claim" means any representation which is printed, oral, audio or visual and states, suggests, or implies that a food has particular qualities relating to its origin, nutritional properties, nature, processing, composition or otherwise;

(e) "dietary fiber" means carbohydrate polymers with a degree of polymerisation (DP) not lower than three, which are not hydrolysed by the endogenous enzymes in the small intestine of humans and the same consists of one or more of-

(i) edible carbohydrate polymers naturally occurring in the food as consumed;

(ii) carbohydrate polymers, which have been obtained from food raw material by physical, enzymatic or chemical means;

(iii) synthetic carbohydrate polymers;

(f) "equivalence claims" means claims that attempt to promote the equality in value, amount and importance of one food attribute to another;

(g) "fat" means total lipids including saturated fat, monounsaturated fat, polyunsaturated fat and trans fat.

Explanation.- for the purposes of this clause,-

(i) "saturated fats" means fatty acids without double bonds;

(ii) "monounsaturated fats" means fatty acids with one cis double bond;

(iii) "polyunsaturated fats" means fatty acids with cis-cis methylene interrupted double bonds; and

(iv) "trans fat" means all the geometrical isomers of monounsaturated and polyunsaturated fatty acids having non-conjugated, interrupted by at least one methylene group, carbon-carbon double bonds in the trans configuration;

(h) "health claim" means any representation that states, suggests, or implies that a relationship exists between a food or a constituent of that food and health, which includes the following, namely:-

(i) "nutrient function claim" is that which describes the physiological role of the nutrient in growth, development and normal functions of the body;

***Example*:** Nutrient 'A' - naming a physiological role of nutrient 'A' in the body in maintenance of health and promotion of normal growth and development. (Food X is a rich source of or high in nutrient 'A');

(ii) "other function claim" that describes the specific beneficial effects of the consumption of foods or their constituents, in the context of the total diet or normal functions or biological activities of the body, which relate to a positive contribution to health or to the improvement of a function or to modifying or preserving health.

Example: Substance A naming the effect of substance A on improving or modifying physiological function or biological activity, associated with health (Food Y contains X grams of substance 'A').;

(iii) "reduction of disease risk claims" refers to claims that state, suggest or imply that consumption of such foods or food constituents, in the context of total diet, reduce the risk of developing a disease or health related condition.

IndiaCode

Explanation.- for the purpose of this sub-clause, "reduction of disease risk" means significantly altering major risk factors, for a disease or health related condition as diseases have multiple risk factors and altering one of these risk factors may or may not have a beneficial effect and the presentation of risk reduction claim must ensure, for example, by use of appropriate language and reference to other risk factors, that consumers do not interpret them as prevention claims.

Examples*:*

(a) *A healthful diet low in nutrient or substance 'A' may reduce the risk of disease D. Food X is low in nutrient or substance 'A';*

(b) *A healthful diet rich in nutrient or substance 'A' may reduce the risk of disease D. Food X is rich in nutrient or substance 'A';*

(i) "marketer" refers to persons or companies, including advertisers, and direct marketers, including e-platforms who or on whose behalf marketing communications are published for the purpose of promoting their products or influencing consumer behaviour;

(j) "marketing communications" includes advertising as well as other techniques, such as promotions, sponsorships and direct marketing, and shall be interpreted broadly to mean any communications produced directly by or on behalf of marketers intended primarily to promote products or to influence consumer behaviour;

(k) "nutrient" means a constituent of food, which-

(i) provides energy ; or

(ii) has specific metabolic or physiological functions; or

(iii) is needed for growth and development and maintenance of healthy life;

(l) "nutrition claim" means any representation which states, suggests or implies that a food has particular nutritional properties including but not limited to the energy value and to the content of protein, fat and carbohydrates, as well as the content of vitamins, minerals and other permitted listed nutrients and nutrition claims may include the following:

(i) "nutrient content claim" is a nutrition claim that directly or indirectly describes the level of a nutrient contained in a food. (Examples: contains or source of; high in; rich in; low in, etc.);

(ii) "nutrient comparative claim" is a claim that compares the nutrient levels or energy value of two or more foods. (Examples: reduced; less than; fewer; increased; more than, etc.);

(m) "non-addition claim" means any claim that an ingredient or additive has not been added to a food, either directly or indirectly and the ingredient or additive is one whose presence or addition is permitted in the food and which consumers would normally expect to find in the food;

(n) "recommended dietary allowances" means the average daily dietary nutrient intake level sufficient to meet the nutrient requirement of nearly all (97 to 98 per cent.) healthy individuals in a particular life stage and gender group.

Explanations.- For the purposes of this clause, recommended dietary allowances values as provided in current Indian Council of Medical Research Nutrient Requirements and Recommended Dietary Allowances for Indians shall be applicable and if Indian recommended dietary allowances is not available for any nutrient then values provided in Codex or World Health Organization guidelines shall be applicable;

(o) "sugars" means all monosaccharides (glucose, fructose, etc.) and disaccharides (maltose, sucrose, lactose, etc.).

(2) All other words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act, rules or regulations made thereunder, shall have the meanings assigned to them in the Act, rules or regulations, respectively.

3. Food business operator and marketers to follow general principles.- Every food business operator and marketer while advertising and publishing or disseminating marketing communication meant for promotion or sale of any article of food including labelling claims shall comply with the following general principles:

Provided that advertisements and claims in respect of food meant for infants shall be in accordance with the Infant Milk Substitutes, Feeding Bottles and Infant Foods (Regulation of Production, Supply and Distribution) Act, 1992 (41 of 1992) Act).

4. General principles.-

(1) Claims must be truthful, unambiguous, meaningful, not misleading and help consumers to comprehend the information provided.

(2) Claims shall not encourage or condone excess consumption of a particular food.

(3) Claims shall not state, suggest or imply that a balanced and varied diet cannot provide appropriate quantities of nutrients as required by the body.

(4) Where the claim benefit is related to or dependent on the method of preparation of the food the same shall be provided on the label.

(5) Claims shall specify the number of servings of the food per day for the claimed benefit.

(6) The claim that a food has certain nutritional or health attributes shall be scientifically substantiated by validated methods of characterising or quantifying the ingredient or substance that is the basis for the claim.

(7) Where the meaning of a trade mark, brand name or fancy name containing adjectives such as "natural", "fresh", "pure", "original", "traditional", "authentic", "genuine", "real", etc., appearing in the labelling, presentation or advertising of a food is such that it is likely to mislead consumer as to the nature of the food, in such cases a disclaimer in not less than 3mm size shall be given at appropriate place on the label stating that –

"*This is only a brand name or trade mark and does not represent its true nature".

(8) All disclaimers related to a claim shall be conspicuous and legible.

(9) Notwithstanding the mandatory declaration of Food Safety and Standards Authority of India logo and license number as per Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Regulations, 2011, no claim or promotion of sale, supply, use and consumption of articles of foods shall be made using Food Safety and Standards Authority of India logo and license number.

(10) Advertisements shall also not undermine the importance of healthy lifestyles.

(11) Advertisements for food or beverages shall not be promoted or portrayed as a meal replacement unless otherwise specifically permitted as a meal replacement under any other Regulations made under Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006)

(12) Claims in advertisements shall be consistent with information on the label of the food or beverage.

(13) No advertisement shall be made for food products which is deceptive to the consumers.

(14) Every declaration which is required to be made on advertisements under these regulations shall be conspicuous and legible.

5. Nutrition claims.-

(1) Nutrition claims may be.-

(a) nutrient content claim; or

(b) nutrient comparative claim

(2) The following do not constitute nutrition claims, namely:-

(a) the mention of substances in the list of ingredients;

(b) the mention of nutrients as a mandatory part of nutrition labelling;

(c) quantitative or qualitative declaration of certain nutrients or ingredients on the label if required by Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) and the rules and regulations made thereunder.

(3) Nutrient content or nutrient comparative claim or any synonymous claim shall be made in accordance with the conditions specified in Schedule I, provided flexibility in the wording of a nutrition claim is as per Schedule II, or the use of any other word if they are in accordance with conditions specified in Schedule I and the meaning of the claim is not altered.

(4) Where a nutrient comparative claim is made, the foods shall be different versions of the same food or similar foods being compared and shall be easily identifiable and the relative difference of the claimed parameter between the compared foods is-

(a) at least twenty-five per cent. in the energy value or nutrient content and a minimum absolute difference equivalent to the figure defined as "low" or as a "source" in Schedule I, for claims about energy or macronutrients and sodium respectively.

(b) at least ten per cent. of recommended dietary allowances, for claims about micronutrients other than sodium.

(5) In addition, where a comparative claim is made, the identity of the foods being compared and the amount of difference expressed as a percentage, fraction or an absolute amount shall be given in close proximity to the claim.

(6) The equivalence claims in form of phrases such as "contains the same amount of [nutrient] as a [food]" and "as much [nutrient] as a [food]" may be used on the label or in the labeling of foods, provided that the amount of the nutrient in the reference food is enough to qualify that food as a "source" of that nutrient, and the labeled food, on per 100g or 100ml, is an equivalent, source of that nutrient (e.g., "as much fiber as an apple," and "contains the same amount of vitamin C as ….. glass of orange juice.")

6. Non-addition claims.-

(1) Non-addition of sugars.- (a) Claims regarding the non-addition of sugars to a food may be made if the following conditions are met, namely:-

(i) no sugars of any type have been added to the food (Examples: sucrose, glucose, honey, molasses, corn syrup, etc.);

(ii) the food contains no ingredients that contain sugars as an ingredient (Examples: jams, jellies, sweetened chocolate, sweetened fruit pieces, etc.);

(iii) the food contains no ingredients containing sugars that substitute for added sugars (Examples: non-reconstituted concentrated fruit juice, dried fruit paste, etc.); and

(iv) the sugars content of the food itself has not been increased above the amount contributed by the ingredients by some other means (Example: the use of enzymes to hydrolyse starches to release sugars).

(b) Claims regarding the non-addition of sugars to a food may also be made, where sugars are naturally present in the food, and in such case the following indication shall also appear on the label.

'CONTAINS NATURALLY OCCURRING SUGARS'.

(2) Non-addition of salt (Sodium chloride).- Claims regarding the non-addition of salt (sodium chloride) to a food, including "no added salt", may be made if the following conditions are met, namely:-

(a) The food contains no added salt (sodium chloride); and

(b) The food contains no ingredients that contain added salt (sodium chloride) including but not limited to sauces, pickles, pepperoni, soya sauce, salted fish, fish sauce.

(3) Non-Addition of additives.- Claims regarding the non-addition of additives including functional classes of additives as specified in Food Safety and Standards (Food Product Standards and Food Additives) Regulations, 2011 to a food, may be made if that the additive for which claim is made-

(a) has not been added to the food;

(b) is not contained in any ingredient of the food;

(c) is one which is allowed to be added in particular products as specified in Food Safety and Standards (Food Product Standards and Food Additives) Regulations, 2011; and

(d) has not been substituted by another additive giving the food equivalent characteristics

(4) Additional conditions for non-addition claims.- The additional conditions or disclaimer statements may be used with non-addition claims to assist consumer understanding of the claims provided that the disclaimer statements shall be conspicuous and legible.

7. Health claims.- (1) Health claims shall comply with the following conditions and declarations, namely:-

(a) the health claim must consist of two parts, namely:-

(i) information on the physiological role of the nutrient or substance or an accepted diet- health relationship; and

(ii) information on the composition of the product relevant to the physiological role of the nutrient or substance or the accepted diet-health relationship unless the relationship is based on a whole food or foods whereby the research does not link to specific constituents of the food;

(b) if the claimed benefit is attributed to a constituent in the food, for which a recommended dietary allowance value is established, the food in question shall be-

(i) a source of or high in the constituent, in accordance with conditions specified in Schedule I, in the case where increased consumption is recommended; or,

(ii) low in, reduced in or free of the constituent, in accordance with conditions specified in Schedule I, in the case where reduced consumption is recommended;

(c) a statement of the quantity of a nutrient or a substance that is the subject of the claim, per 100g or 100ml or per pack (single consumption pack) of the food;

(d) where applicable, target group shall be mentioned or where a certain contraindication exists, advice to vulnerable groups on consumption or avoidance of the food shall be made available;

(e) directions for use of the food to obtain the claimed benefit in the context of the diet and other lifestyle factors where appropriate;

(f) maximum safe intake of the food or the constituent, if necessary.

(2) Nutrient function claims and other function claims may be made based on current relevant scientific substantiation and to provide sufficient evidence on the type of claimed effect and the relationship to health as recognised by generally accepted scientific review of the data and the scientific substantiation shall be reviewed by food business operator as new knowledge becomes available and claims updated accordingly.

(3) No reduction of disease risk claims shall be made that is not in accordance with the conditions specified in Schedule III.

(4) Food articles that are fortified as per Food Safety and Standards (Fortification of Foods) Regulations, 2018 may make health claims as provided in Schedule IV and flexibility in the wordings of the claim statement is acceptable, if the meaning of the claim is not altered.

(5) Where a claimed health benefit is attributed directly to the product, it shall be based on statistically significant results from well-designed human intervention studies, conducted by or under guidance of established research institutions, in line with the principles of GCP (Good Clinical Practices) and peer reviewed or published in a peer reviewed reputed scientific journal.

8. Claims related to dietary guidelines or healthy diets.- (1) claims may be made related to a "healthy diet" or any synonymous term referring to the pattern of eating as per current Indian Council of Medical Research Dietary Guidelines for Indians and the label shall carry a statement relating the food to the pattern of eating described thereof.

(2) Foods, which are described as part of a healthy diet, balanced diet shall not be based on selective consideration of one or more aspects of the food and shall also satisfy the criteria for other major nutrients related to the current Indian Council of Medical Research Nutrient Requirements and Recommended Dietary Allowances for Indians and Indian Council of Medical Research Dietary Guidelines for Indians, based on scientific evidence.

(3) Foods shall not be described as "healthy" or be represented in a manner that implies that a food in and of itself will impart health.

(4) Flexibility in the wordings is acceptable, if the claims remain faithful to the pattern of eating outlined in the current Indian Council of Medical Research Nutrient Requirements and Recommended Dietary Allowances for Indians and Indian Council of Medical Research Dietary Guidelines for Indians.

9. Conditional Claims.- (1) a claim may be made where a food is by its nature high or low or free of a specific nutrient provided the name of the nutrient or substance is preceded by the words 'natural or naturally' in the claim statement.

Explanation*: "a* naturally low (naming a nutrient or substance) food" or "a naturally (naming the nutrient or the substance) free food".

(2) claims containing adjectives such as "natural", "fresh", "pure", "original", "traditional", "Authentic", "Genuine", "Real", etc. , when used, shall be in accordance with conditions laid down in Schedule V and the claims containing words or phrases like "home-made", "home cooked", etc., which may give an erroneous impression to the consumer shall not be used.

10. Prohibited claims.- (1) no claims shall be made which refer to the suitability of the food for use in the prevention, alleviation, treatment or cure of a disease, disorder or particular physiological condition unless specifically permitted under any other regulations made under Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006).

(2) There shall not appear in the label of any package, containing food for sale the words "recommended by the medical or nutrition or health professionals" or any words which imply or suggest that the food is recommended, prescribed, or approved by medical practitioners or approved for medical purpose.

(3) No product shall claim the term "added nutrients", if such nutrients have been added merely to compensate the nutrients lost or removed during processing of the food

(4) Foods for special dietary uses or foods for special medical purposes shall not carry a claim unless specifically permitted under any other regulations made under Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006).

(5) Claims which do give rise to doubt or suspicion about the safety of similar food or which may arouse fear shall not be made.

(6) No health claims shall be made for foods that contain nutrients or constituents in quantity that increase the risk of disease or an adverse health-related condition.

(7) No advertisements or claims for articles of foods shall be made by any food business operator that undermines the products of any other manufacturer for the purpose of promoting their products or influencing consumer behavior.

11.Approval of claims.- The food business operator or marketer shall seek prior approval from the Food Authority for reduction of disease risk claims other than those that are defined and for which criteria are laid out under these regulations or any other regulations made under the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006).

12. Procedure for approval of claims.- (1) The food business operator shall submit an application along with applicable fees as prescribed by Food Safety and Standards Authority of India consisting of the following information, namely:-

(i) Claim to be made;

(ii) Name of ingredient, nutrient or substance on the basis of which the claim is to be made;

(iii) Validated Method of analysis of ingredient or substance for which the claim is to be made;

(vi) Scientific information or materials substantiating the claim;

(v) How is the claim clear and meaningful and help consumers to comprehend the information provided;

(vi) Well-designed human intervention studies in case of health claims conducted by or under guidance of established research institutions; and

(vii) Any other useful information.

(2) The food authority itself or may appoint an agency or panel to carry out preliminary scrutiny of the application submitted by food business operators or marketers for approval of their claims.

(3) On scrutiny, deficiencies, if any, shall be informed to applicant within ninety days from the date of receipt of application and the applicant shall provide the information required by the food authority within thirty days of the receipt of the communication, failing which the application shall be rejected without any further reference.

(4) The fees paid by the applicant for recognition shall not be refunded under any circumstances.

(5) After scrutiny, the Food Authority may pass a speaking order either for approval or rejection of concerned claims and may also suggest an amendment for the concerned claim.

(6) The amended claim referred to in sub-regulations (5) may be submitted to the Food Authority within thirty days for reconsideration.

(7) In case of rejection, the food business operator or marketer shall not use that claim in their advertising and marketing communication in respect of articles of food offered for sale or for promotion of sale, supply, use or consumption.

13. Redressal of non-compliance.- (1) Any person who advertises or is a party to the publication of any advertisement or claims not complying with this regulation shall be penalised as per section 53 of Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006).

14. Procedure for redressal of non-compliance.- (1) The misleading claims shall be referred to the food authority or the Food Authority may on its own motion take on file any misleading claim and the Food Authority may itself analyse or may appoint an agency or panel to analyse such misleading claims.

(2) In case the agency or Food Authority requires information from the food business operator or marketer, the food authority will seek clarification failing which action shall be initiated as per sub-regulation (1) of regulation 13.

(3) the food business operator or the marketer shall submit the information sought for within thirty days from the issue of the letter.

(4) After scrutiny of the submitted information, the officer nominated by the Authority shall pass a speaking order within ninety days either for acceptance or rejection of submitted clarification on misleading claims.

(5) The Food Authority may also suggest an improvement for the concerned claim and the improved claim shall be intimated to the Food Authority within forty- five days after issuance of letter.

15. Corrective advertisement.- If an advertisement is found to be in violation of the provisions of these regulations, the Food Authority may, by order, require the concerned food business operator or advertiser to stop it immediately and to issue corrective advertisement within thirty days through the same medium for neutralising the effect of such advertisement.

SCHEDULE – I

[*See regulation 5 (3) and (4) and regulation 7 (1)(b)*]

NUTRITION CLAIMS

A claim that a food containing the nutrient mentioned in column (2) is likely to have the benefits as mentioned in column (3) or has the same meaning for the consumer may be made subject to the conditions as mentioned in column (4) below:

(1)	(2)	(3)	(4)
Sl. No	Nutrient/ component	Claim	Conditions
1.	Energy/Calorie	Low	Not more than 40 kcal[#] per 100 g for solids 20 kcal per 100 ml for liquids.
		Free	Not more than 4 kcal per 100 ml for liquids.
2.	Fat	Low	Not more than 3 g of fat per 100 g for solids or 1.5 g of fat per 100ml for liquids.
		Free	Not more than 0.5 g of fat per 100 g for solids or 100 ml for liquids.
3.	Cholesterol	Low	Not more than 20 mg cholesterol per 100 g for solids and 1.5 g saturated fat per 100 g for solids or 10 mg per 100 ml for liquids and 0.75 g of saturated fat per 100 ml for liquids and in either case must provide not more than 10% of energy from saturated fat.
		Free*	Not more than 5 mg cholesterol per 100g for solids or 100 ml for liquids. Additionally the food shall contain no more than 1.5 g saturated fat per 100 g for solids or 0.75 g of saturated fat per 100 ml for liquids and in either case must provide not more than 10% of energy from saturated fat.
4.	Saturated fat	Low*	Not more than 1.5 g per 100 g for solids or 0.75 g per 100 ml for liquids and in either case must provide not more than 10% of energy from saturated fat.
		Free	Saturated fatty acids do not exceed 0.1 g per 100 g or 100 ml of food.
5.	Unsaturated fat	High*	At least 70% of the fatty acids present in the product are derive from unsaturated fat under the condition that unsaturated fat provides more than 20% of energy of the product
6.	Trans fat	Free	The food contains less than 0.2g trans fat per 100 g or 100ml of food
7.	MUFA	High in MUFA*	Shall only be made where at least 45% of the total fatty acids present in the product are derived from mono unsaturated fat and under the condition that monounsaturated fat provides more than 20% of energy of the product
8.	PUFA	High in PUFA*	Shall only be made where at least 45% of the total fatty acids present in the product are derived from

(1)	(2)	(3)	(4)
Sl. No	Nutrient/ component	Claim	Conditions
			poly unsaturated fat and under the condition that polyunsaturated fat provides more than 20% of energy of the product
9.	Omega 3 fatty acids	Source	The product contains: at least 0.3g alpha-linolenic acid per 100 g and per 100kcal, or at least 40 mg of the sum of eicosapentaenoic acid and docosahexaenoic acid per 100g and per 100kcal
		High	The product contains: at least 0.6 g alpha-linolenic acid per 100g and per 100kcal, or at least 80mg of the sum of eicosapentaenoic acid and docosahexaenoic acid per 100g and per 100kcal
10.	Sugars	Low	The product contains not more than **5** g of sugars per 100 g for solids or 2.5 g of sugars per 100 ml for liquids.
		Free	The product contains not more than 0.5 g of sugars per 100 g for solids or 100 ml for liquids.
11.	Protein	Source*	10% of RDA per 100 g for solids 5% of RDA per 100 ml for liquids or 5% of RDA per 100 kcal
		Rich / High *	20% of RDA per 100 g for solids 10% of RDA per 100 ml for liquids or 10% of RDA per 100 kcal
12.	Vitamin(s) and/or Mineral(s)	Source	The food provides at least 15% of RDA of the vitamin/mineral per 100g for solids or 7.5% of RDA of the vitamin/mineral per 100 ml for liquids
		High	The food provides at least 30% of RDA per 100 g for solids or 15% of RDA per 100 ml for liquids
13.	Sodium	Low	Product contains not more than 0.12 g of sodium per 100 g for solids or 100 ml for liquids.
		Very low	Product contains not more than 0.04 g of sodium per 100 g for solids or 100 ml for liquids.
		Sodium free	Product contains not more than 0.005g of sodium per 100 g for solids or 100 ml for liquids.
14.	Dietary fibre	Source	Product contains at least 3 g of fibre per 100 g or 1.5 g per 100kcal
		High Or Rich	The product contains at least 6 g per 100 g or 3 g per 100 kcal
15.	Probiotics	Source	Product contains $\geq 10^8$ CFU in the recommended serving size per day
16.	Glycemic index (GI)	Low GI	GI value below 55 A food's GI indicates the rate at which the carbohydrate in the food is broken down into glucose and absorbed from the gut into the blood and expressed as a per cent of the response to the same amount of carbohydrate from a standard food, white bread

Note: Nutrient content claims for food products falling under health supplement categories shall be governed by Food Safety and Standards (Health Supplements, Nutraceuticals, Food for Special Dietary Use, Food for Special Medical Purpose, Functional Food and Novel Food) Regulations, 2016.

1 kcal = 4.2 kJ

*** To make these claims the specific nutrient in the food must provide the minimum amount of energy specified.**

$$\% \text{ energy from the nutrient} = \frac{\text{Grams of nutrient per 100g of product x Conversion factor for nutrient}}{\text{Total Energy per 100g of product}} \times 100$$

SCHEDULE – II

[*See regulation 5(3)*]

Synonyms which may be used for claims defined in these regulations

Free	Low	Reduced/Less	High	Source
Zero, No, Without, , Negligible Source	Little, few (for calories), contains a small amount of, low source of, Light	Lower, fewer (for calories)	Higher, Increased, More, Rich, Enhanced	Provides, Contains

SCHEDULE – III

[*See regulation 7 (3)*]

HEALTH CLAIMS

Introductory note:	*Health claims are structured on the following criteria:* 1. *Health claims are always to be stated as part of a balanced diet.* 2. *To obtain the claimed benefit two conditions are to be complied with* a. *A specified amount of the nutrient/ingredient per serving of the food for example 1 g 'X' nutrient)* b. *A statement that in order to obtain the claimed benefits, the daily intake of the nutrient/ingredient (for example 3g of 'X' nutrient) should be taken either from the same food or any other food that provides the beneficial nutrient/ingredient.* 3. *The health claims regarding vitamins and minerals – a statement regarding the RDA for the specific vitamin and mineral shall be given. Where no RDA is established by ICMR, the RDA provided in Codex/WHO guidelines shall be applicable.* 4. *The claim statements provided below may be used on labels and/or advertisements. Provided further that Food Businesss Operators may choose to use same or similar terms in the claim statements as provide in the schedule under this regulation while ensuring that the intent and meaning of the claim is not changed.*

SI. No.	Nutrient/Food-Health Relationship	Conditions for claim	Claim Statement
1	**Calcium or Calcium and Vitamin D and osteoporosis**	○ the food is a source or high in calcium or in calcium and vitamin D and ○ a statement that the beneficial effect is obtained with a daily recommended intake (RDA)	Adequate Calcium (or Calcium and Vitamin D) intake throughout life, through a balanced diet are essential for bone health and to reduce the risk of osteoporosis
2	**Sodium and Hypertension**	A food which ○ is low in sodium (0.12g sodium/100g or 100ml) ○ a statement that the beneficial effect is obtained with a low sodium diet.	Diets low in sodium may help in reducing the risk of high blood pressure.

IndiaCode

3	**Dietary saturated fat and blood cholesterol level**	○ low saturated fat ○ a statement that the beneficial effect is obtained with a diet low in fat, saturated fat and physical activity	Diets low in saturated fat contributes to the maintenance of normal blood cholesterol levels.
4	**Potassium and risk of high blood pressure**	the food is a good source of potassium and is ~~○~~ low in sodium ○ low in total fat and saturated fat.	Diets containing good sources of potassium and low in sodium, fat and saturated fat may help reduce the risk of high blood pressure.
5	**Alpha – linolenic acid (ALA) and blood cholesterol level**	○ the food contains at least 1g of omega-3 fatty acids per 100g or 100ml or 100kcal. ○ statement that the beneficial effect is obtained with daily intake of 2g of ALA	Alpha – linolenic acid (ALA) contributes to the maintenance of normal blood cholesterol levels.
6	**Soluble Dietary Fibre and lipid profile**	○ soluble dietary fibre from food sources including but not limited to oats, barley, millets or mixtures thereof ○ contains at least 1g per serving ○ statement that the beneficial effect is obtained with daily intake of 3g of soluble dietary fibre.	Soluble Dietary Fibre taken as part of a diet may help in the maintenance of normal lipid profile.
7	**Phytosterol or stanol and lipid profile**	food with phytosterol or stanol ○ contains at least 1g plant sterols or stanols per serving and ○ a statement that the beneficial effect is obtained with a daily intake of up to 3g per day.	Foods containing plant sterols or stanols (as applicable) containing at least 1g of plant sterols or stanols eaten twice a day with meals for a daily intake of up to 3g may help in improving the lipid profile.
8	**Beta-glucans (oats, barley) and blood glucose**	○ the food is oats and/or barley, ○ contains at least 4g beta-glucans for each 30g of available carbohydrates in the quantified portion ○ statement that it is taken as part of the meal.	Beta- glucans from oats or barley when taken as part of a meal may help in reduction of rise in blood glucose after that meal.

IndiaCode

SCHEDULE – IV

[*See regulation 7 (4)*]

Health Claims for Fortified Food Articles

SI. No.	Nutrients	Claims
1.	Vitamin A	Vitamin A helps against night blindness.
2.	Vitamin D	Vitamin D supports strong bones.
3.	Vitamin B12	Vitamin B12 is important for maintaining normal functioning of Nervous system and blood formation.
4.	Folate & Folic acid	Folate & Folic acid is important for foetal development and blood formation.
5.	Iron	Iron fights Anemia.
6.	Iodine	Iodine is required for normal growth, thyroid and brain function.
7.	Zinc	Zinc supports a healthy immune system.

8.	Thiamine	Thiamine is required for normal nerve and heart function.
9.	Riboflavin	Riboflavin is necessary to release the energy from food.
10.	Niacin	Niacin is necessary to release the energy from food.
11.	Pyridoxine	Pyridoxine is necessary to release the energy from food.

SCHEDULE – V

[*See regulation 9 (2)*]

Use of certain words or phrases

The following words or phrases used as specified in column 1 shall be used according to the conditions listed in column 2:

Sl. No.	Column 1	Column 2
1.	Natural	The word may be used to describe: (a) A single food, derived from a recognised source viz., plant, animal, microorganism or mineral and to which nothing has been added and which have been subjected only to such processing which would only render it suitable for human consumption like: (i)smoking without chemicals, cooking processes such as roasting, blanching and dehydration and physical refining; (ii)freezing, concentration, pasteurization, sterilisation and fermentation; and (Iii)packaging done without chemicals and preservatives. (b) Permitted food additives that are obtained from natural sources by appropriate physical processing. (c) Composite foods shall not themselves be described directly or by implication as "natural" but such foods may be described as "made from natural ingredients" if all the ingredients or food additives meet the criteria in (a) and (b) above: Provided that, the above principles shall also apply to use of other words or expressions such as "real", "genuine", when used in place of "natural "in such a way as to imply similar benefits. Provided further that the, claims such as "natural goodness", "naturally better", "nature's way" shall not be used.
2.	Fresh	(a) The term "fresh" shall only be used on products which have not been processed in any manner except, washed, peeled, chilled, trimmed or cut, irradiated by ionizing radiation not exceeding 1kGy or other processing necessary for making the product safe for consumption without altering its basic characteristics in any manner. If such processing also leads to extension in the shelf-life of the product the term "fresh" shall not be used. (b) The term "fresh" or "freshly" shall have no other connotation than the immediacy of the action being described. A food containing additives or subjected to packaging, storing or any other supply chain processes that control freshness shall not be termed as "freshly stored", "freshly packed", etc.: Provided that "Fresh" may be permitted to be used along with "frozen" if it is clear from the context. - "Frozen from fresh" "fresh frozen" "Freshly frozen"– which would indicate that the food was quickly frozen while still fresh.
3.	Pure	(a) The term "pure" shall only be used to describe a single ingredient food to which nothing has been added and which is free from avoidable contamination and the levels of unavoidable contaminants shall need to be below the levels prescribed in the Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulations, 2011 or in any other standard given under Food Safety and Standards Act, Rules and Regulations thereof. (b) Compound foods shall not generally be described, directly or by implication, as "pure" but such foods may be described as "made with pure ingredients" if all the ingredients meet the criteria in (a) above. (c) "Pure" shall not be included in any brand or fancy names, nor in coined or meaningless phrases, in such a way as to imply that a food that does not meet the criteria above is pure or made from pure ingredients.

Sl. No.	Column 1	Column 2
4.	Authentic, Genuine, Real	These terms may be used only if the label or advertisement also clarify in what way the overall quality is tangibly justified and why the particular term has been used.
5.	Traditional	The term "traditional" shall demonstrably be used to describe a recipe, fundamental formulation or processing method for a product that has existed for a generation (thirty years), should have been available substantially unchanged, for that same period.
6.	Original	(a)The term "original" shall only be used to describe a food that is made to a formulation, the origin of which can be traced, and that has remained essentially unchanged over time. It should not contain replacements for major ingredients. It may similarly be used to describe a process, provided it is the process first used in the making of the food, and which has remained essentially unchanged over time, although it may be mass-produced. (b) To be termed "original", a product shall not have changed to any material degree and shall remain available as the 'standard' product when new variants are introduced. A product re-introduced onto the market after a period of absence shall only be described as "original" if it can be shown to meet these criteria.

PAWAN AGARWAL, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./356/18]

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.